राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 449/2014/राजसमन्द
2. अपील संख्या – 450/2014/राजसमन्द
3. अपील संख्या – 451/2014/राजसमन्द
4. अपील संख्या – 452/2014/राजसमन्द
5. अपील संख्या – 453/2014/राजसमन्द

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सी, भीलवाड़ा ...अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स बुटिक होटल इण्डिया प्रा. लि. राजसमन्द ....प्रत्यर्थी

6. अपील संख्या – 2164/2014/राजसमन्द
7. अपील संख्या – 2165/2014/राजसमन्द
8. अपील संख्या – 2166/2014/राजसमन्द
9. अपील संख्या – 2167/2014/राजसमन्द
10. अपील संख्या – 2168/2014/राजसमन्द

मैसर्स बुटिक होटल इण्डिया प्रा. लि. राजसमन्द ...अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त सी, भीलवाड़ा ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के. अजमेरा

उप–राजकीय अभिभाषक ....राजस्व की ओर से

व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं (एकपक्षीय बहस सुनी गई)

दिनांक : 05.12.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपीलों में से प्रथम पांच अपीलें राजस्व द्वारा व द्वितीय पांच अपीलें व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा Rajasthan Tax on Luxuries (in hotel and lodging houses) Act, 1990 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 27 तथा राजस्थान वेट अधिनियम 2003 की धारा 82 एवं नियम 30 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से कर व ब्याज को यथावत रखे जाने पर व्यवहारी द्वारा व शास्ति को अपास्त किये जाने को विभाग द्वारा चुनौती दी गयी है। सृजित मांग का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सं.	व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपीलीय अधिकारी के आदेश	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धा. आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
449/14	2164/14	61/वैट/13–14	4.10.2013	2007–08	25.03.2013	670925	895461	1341850
450/14	2165/14	62/वैट/13–14	4.10.2013	2008–09	10.06.2013	410992	469353	821984
451/14	2166/14	63/वैट/13–14	4.10.2013	2009–10	10.06.2013	322458	289782	644916
452/14	2167/14	64/वैट/13–14	4.10.2013	2010–11	10.06.2013	343415	225051	686830
453/14	2168/14	65/वैट/13–14	4.10.2013	2011–12	10.06.2013	246757	101664	493514

लगातार.....................2.

2. उक्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2012 को व्यवसायी स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट तृतीय, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा द्वारा किया जाने पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवहारी द्वारा होटल कमरों की आय पर विलासित कर का तो भुगतान किया जा रहा है परन्तु व्यवहारी द्वारा ग्राहकों को दी जा रही अन्य सुविधाएं ऊंट एवं घोडा सवारी, विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa पर विलासिता कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उपायुक्त प्रशासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.12.2012 द्वारा उक्त प्रकरण निस्तारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों पर व्यवहारी द्वारा की गयी आय को विलासिता कर की श्रेणी में मानते हुए उक्त आय पर विलासिता कर अधिनियम की धारा 17(10) के तहत् प्रचलित कर दर से कर का आरोपण व धारा 21(5) के तहत् शास्ति का आरोपण करते हुए मांग कायम की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलीार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.10.2013 द्वारा कर व ब्याज को यथावत करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.10.2013 से व्यथित होकर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा व शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा उपरोक्त अपीलें कर बोर्ड के समक्ष पेश की गयी है।

4. **विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं व्यवहारी की ओर से पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित होने के पश्चात् प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।**

5. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा लिखित बहस में यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार व्यवहारी द्वारा समस्त अतिरिक्त सेवाऐं कमरें के अन्दर प्रदान नहीं की गयी है व ये सभी सेवाऐं वैकल्पिक है तथा इन सभी अतिरिक्त सेवाओं पर व्यवहारी द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाता है। अतः इन सेवाओं पर

लगातार.....................3.

विलासिता कर आरोपणीय नहीं है। व्यवहारी द्वारा आगे कथन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा प्रतिदिन की दर से जो राशि वसूल की जाती है वह ही विलासिता कर के दायरे में आयेगी। अतः व्यवहारी द्वारा पृथक से प्रदान की गयी सेवा सेवा कर के दायरे में आती है न कि विलासिता कर के। सर्वोक्षण अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के परे जाकर कार्य किया एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थान्तरित किया गया। उक्त कर निर्धारण Change of opinion के आधार पर किया गया।अधिनियम में परिभाषित "Luxury Provided in Hotel" में उल्लेखित "Other Services" में Accommodation के साथ उपलब्ध करवाये जाने वाली आवश्यक सेवाऐं सम्मलित है, न की वैकल्पिक सेवाऐं। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य सेवाओ पर आरोपित विलासिता कर पूर्णयता अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए कर व ब्याज को यथावत रखने में विधिक भूल की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश का कर व ब्याज के बिन्दु पर पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किय जाने योग्य है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि व्यवहारी के समस्त संव्यवहार बहीयात में दर्ज थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या साबित नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आरोपित शास्ति को अपास्त करने का आदेश विधि अनुसार है। अपने उक्त कथनों के साथ विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा लिखित बहस में कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय आदेश को निरस्त करने व शास्ति आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया गया। अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

1. State of Orissa Vs. Ugratara Bhojanalaya (1993) 91 STC 7 (ORI)
2. Sales Tax Officer Vs. Uttareswari Rise Mills (1972) 30 STC 567
3. M/s. Jai Vijay Metal Udyog Pvt. Ltd. Vs Commissioner Trade Tax U.P. Lucknow
4. M/s Hotal Marwarda Estate & Mis Raju Gurjar S/o Shri Rqamjilal Sodala Vs Assistant Commissioner, Commercial Taxes, Dousa (2009) 25 TUD 224 (RTB-ajm)
5. Hotel Jagadeswari Pvt. Ltd. Vs. Assistant Commissioner of Income Tax (1994) 48 TTJ Del 463
6. Asian Hotels Ltd, Vs. Gov ernment of National Capital AIR 2002 Delhi 227

6. राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा होटल कमरों व अन्य सुविधाओं हेतु प्राप्त राशि पर राजस्थान विलासिता कर अधिनियम 1990 के के तहत् विलासिता कर देय होता है। व्यवहारी द्वारा होटल में जो सुविधाएं किसी भी नाम से प्रदान की गयी तथा अन्य संबंधित प्रदान की गयी सेवाएं विलासिता (Luxury) की श्रेणी में आती है। कर निर्धारण आदेश में अन्तर कर व

लगातार.....................4.

ब्याज का आरोपण विधि सम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। कर निर्धारण आदेश क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही पारित किया गया है। व्यवहारी द्वारा अपवंचित विलासिता कर की राशि पर राजस्थान विलासिता कर अधिनियम 1990 की धारा 21(5) के तहत् उक्त अपवंचित राशि की दुगुनी शास्ति आरोपणीय है। अतः व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—10, 2010—11, 2011—12 की अवधि के लिये राजस्थान विलासिता कर अधिनियम 1990 के तहत् कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया जो विधिनुसार है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज जो यथावत रखा गया परन्तु शास्ति को अपास्त किया गया। जबकि व्यवहारी द्वारा किया गया कृत्य करापवंचन की श्रेणी में आने से शास्ति का आरोपण किया गया जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गई है। अपने इस कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की कर व ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार करने व शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

7 राजस्व/विभाग की एकपक्षीय बहस एवं व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के साथ संलग्न रिकोर्ड का अवलोकन किया गया।

8. वर्तमान प्रकरणों में दिनांक 02.11.2012 को व्यवसायी स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट तृतीय, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा द्वारा किया जाने पर सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पाया गया कि व्यवहारी द्वारा होटल कमरों की आय पर विलासित कर का तो भुगतान किया जा रहा है परन्तु व्यवहारी द्वारा ग्राहकों को दी जा रही अन्य सुविधाएं ऊंट एवं घोडा सवारी, विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa की राशि को Other Guest Services में दर्शाया गया है किन्तु उन पर विलासिता कर का भुगतान नहीं किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी सहायक वाणिज्यिक अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त (प्रशासन) को प्रस्तुत की गयी। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.12.2012 द्वारा उक्त प्रकरण निस्तारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा को स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2013 को धारा 17(10) के तहत् कर निर्धारण आदेश पारित किया जाकर अपवंचित टर्न ओवर पर करारोपण करते हुए शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलीय आदेश दिनांक 04.10.2013 द्वारा कर व ब्याज का आरोपण यथावत रखा गया एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया।

लगातार......................5.

9. व्यवहारी की यह आपत्ति रही है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया गया सर्वेक्षण एवं उसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा द्वारा किया गया आदेश क्षेत्राधिकारी के परे है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान टैक्स ऑन लग्जरीस रुल्स, 1997 के नियम 9 के अनुसार राजस्थान वैट नियम 2006 के प्रावधान उक्त लग्जरीस रुल्स के संबंध में भी Mutatis mutandis होने से लागू होगें। वर्तमान प्रकरणों में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण नहीं किया गया। किन्तु सहायक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा द्वारा किया गया सर्वेक्षण क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं है। वैट अधिनियम की धारा 37(4) एवं राज्य सरकार के बजट भाषण 2009–10 की घोषणा जिसमें Prosecutor Should not be a judge की घोषणा की गई थी उसके अधीन वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा नीति परिपत्र संख्या 13/2009 जारी कर किसी भी अभियोग के मामले में अभियोग बनाने वाले अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को निर्णय हेतु पत्रावली स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये है एवं परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि विभाग द्वारा प्रशासित अन्य कर अधिनियमों के तहत करापवंचन के अभियोगों में भी परिपत्र के निर्देश Mutatis Mutandis लागू होंगे। फलतः धारा 37(4) के तहत उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 05.11.2012 द्वारा उक्त प्रकरण निस्तारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन भीलवाडा को स्थानान्तरित किया गया। जिसके द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इस प्रकार व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त आपत्ति सारहीन है।

10. वर्तमान प्रकरणों में गुणावगुण पर मूल विवाद यह है कि व्यवहारी द्वारा ऊंट घोडा सवारी विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa की सुविधाओं के लिये ग्राहकों से ली गई प्राप्तियां जिनको व्यवहारी द्वारा Other Guest Services में दर्शाया गया है, उन पर लग्जरी टैक्स (Luxury Tax) देय है अथवा नहीं?

11. व्यवहारी द्वार अपनी लिखित बहस में यह आपत्ति की गयी है कि "Other Services" से तत्पर्य है कि ऐसी विलासिता से जो ग्राहकों आवश्यक रूप से उपलब्ध होती है और ग्राहक को उस का भुगतान अदा करना होता है, चाहे वह इसका उपभोग करें या नहीं। जब Accommodation के भाग के रूप में विलासिता की वस्तुओं को स्पष्ट रूप उल्लेखित कर उन पर विलासिता कर आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। तब विधायिका का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि सभी वस्तुओं/सेवाओं/सुविधाओं पर विलासिता कर पृथक से आरोपित किया जाए जब तक कि विधायिका ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं करें।

लगातार.....................6

12. इस संबंध में व्यवहारी का लिखित बहस में यह कथन है कि अधिनियम, 1990 की धारा 2(1)(i) में विशिष्ट रुप से यह अंकित है कि वे सेवायें ही लग्जरी मानी जायेगी जो किसी होटल के "कमरे (Room) में किसी गेस्ट को प्रदान की जाती है। अतः Room के अलावा दी गई सेवायें यथा ऊंट घोडा सवारी विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa आदि को विलासिता में सम्मिलित करना अविधिक बताया है एवं यह तर्क दिया कि विधिक सिद्धांत ejusdem generis के अनुसार इस परिभाषा में अन्य सुविधाए सम्मिलित नहीं किये जा सकते। व्यवहारी की आपत्ति के संदर्भ में ऊंट घोडा सवारी विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa को लग्जरी मानने या नहीं मानने के बिन्दु पर विचार किया गया एवं Luxury से तात्पर्य पर निष्कर्ष हेतु निम्न शब्द कोष व न्यायिक निर्णयों में दी गई Luxury की व्याख्या का अध्ययन किया गया जो निम्न प्रकार है –

1- **Oxford Dictionery -**
Luxury means A state of greas comfort or elegance, especially when involving great expense.

2- **Cambridge Dictionery :-**
(i) Luxury means grear comfort especially as provided by expensive and beautiful things.
(ii) Luxury means something expensive that is pleasant to have but is not necessary:
(iii)Luxury means something that gives you a lot of pleasure but cannot be done often:

माननीय न्यायालयों द्वारा Luxury Provided in Hotel की व्याख्या करते हुये निम्न टिप्पणियां दी हैं –

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के रामश्री शॉपिंग आरकेड प्रा0 लि0 बनाम कर्नाटक राज्य A.I.R. **2000 कर्नाटक 33** के निर्णय में Luxury को इस तरह परिभाषित किया गया है –"Luxuries means commodities or services specified in schedule ministering to enjoyment, comfort or pleasure extraordinary to necessities of life."

2. **माननीय उच्चतम न्यायालय के AB Abdul Kadir बनाम स्टेट ऑफ केरला (1996) STC 182** के निर्णय में लग्जरी को इस तरह परिभाषित किया है:–

"The word 'Luxury' has not been used in the sense of something pertaining to the exclusive preserve of' the rich. The connotation of the word `luxury' is

लगातार......................7.

something, which conduces enjoyment over and above the necessaries of life. There is nothing static about what constitutes an article of luxury. The luxuries of yesterday could well become the necessities of today. Likewise, what constitutes necessity for citizens of one country or for those living in a particular climate may well be looked upon as an items of luxury for the nationals of another country or for those living in a different climate."

3. **Express Hotels Private Limited vs State Of Gujarat & Anr. on 2 May, 1989 AIR 1989 SC 1949** में माननीय उच्चतम न्यायालय में Luxury को निम्न प्रकार से बताया है :– "In the context of lodging accommodation and the services that go with it, the concept of luxury would necessarily be a comprehensive idea taking into account the various components of the services. Differences of degree can at particular stage become differences of kind. The composite elements of lodging accommodation and services associated with it cannot be broken into components so as to distinguish some components as necessities, some others as comforts and yet others as luxuries. **Even necessities and comforts, which have to them the additional element of undue elegance to a point of extravagance and indulgence, might become luxuries."**

उक्तानुसार शब्दकोष एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में Luxury की व्याख्या में मूलतः यह विचार प्रकट किये है कि ऐसी कोई भी गतिविधि (Activity) जो व्यक्तियों को आनंद एवं आराम का आभास प्रदान करते है एवं सामान्य मूल्यों से कई अधिक खर्चीलें होते है, वे Luxury कहताले हैं एक्सप्रेस होटल के उक्त माननीय उच्चतम न्यायाल के निर्णय में हर आवश्यकता एवं अतिखर्चीले है व Luxury होगा आराम जो वैभव एवं भव्यता देते है।

13. होटल में उपलब्ध कराये जाने वाली अन्य सेवाओं के संबंध में अधिनियम 1990, की धारा 2(1)(i) का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

"Luxury provided in a Hotel" means accommodation (such as room or other place or lawn etc. by whatever name called) **and other services including** air conditioning, coolers, heaters, geysers, television, radio, music, entertainment, extra beds, linen articles **and** **the like** in a hotel, for which the rate of charges per day or part thereof is seven hundred fifty rupees or more;

उक्त परिभाषा में Accomodation के साथ **"अन्य सभी तरह की सेवायें** and services से स्पष्ट तात्पर्य है कि आवास और आवास के दौरान की गई सभी अन्य सुविधायें जो होटल में उपलब्ध करवायी जायेगी वे Luxuries है, अर्थात इस परिभाषा में दो भाग है प्रथम आवासीय लग्जरी व द्वितीय सेवाओं की लग्जरी। जो किसी व्यक्ति के होटल में आवास के दौरान प्राप्त की जाती है, वे Luxury की श्रेणी में आयेगी एवं परिभाषा में कुछ सेवाओं के नाम अंकित करते हुये उसके आगे including तथा सेवाओं के बाद and the like अंकित किया गया है जिसको विधिक मान्य सिद्धांत ejusdem generis के अनुसार इसी तरह ऐसी सेवाओं को लग्जरी माना जायेगा जो अतिथि को आराम एवं मनोरंजन प्रदान करती है। इस तरह इस परिभाषा में लग्जरी में वे समस्त गतिविधियां सम्मिलित होंगी जो किसी अतिथि को आराम एवं मनोरंजन का एहसास कराया जा सके।

लगातार.....................8.

(1) South Gujarat Roofing Tiles ... vs State Of Gujarat And Another on 20 October, 1976 Equivalent citations: 1977 AIR 90, 1977 SCR (1) 878 We may refer to the often-quoted observation of Lord Watson in Dilworth v. Commissioner of Stamps, (1) that when the word 'include' is used in interpretation clauses to enlarge the meaning of words or phrases in the statute "these words or phrases must be construed as comprehending, not only such things as they signify according to their natural import but also those things which the interpretation clause declares that they shall include". Thus where 'includes' has an extending force, it adds to the word or phrase a meaning which does not naturally belong to it.

(2) C.I.T. Andhra Pradesh vs M/S Taj Mahal Hotel, Secunderabad on 12 August, 1971 Equivalent citations: 1972 AIR 168, 1971 SCC (3) 550 Theword 'includes' is generally used to enlarge the meaning of words or phrases used in the statute so that, words and phrases may be construed as comprehending not only such things as they signify according to their nature and import, but also these things which the interpretation clause declares that they shall include.

(3) In Black Diamond Beverages vs. Commercial Tax Officer (1998) 1 SCC 458, It is clear that the definition of `sale price' in Section 2(d) uses the words `means" and `includes'. The first part of the definition defines the meaning of the word `sale price' and must, in our view, be given its ordinary, popular or natural meaning. The interpretation there of is in no way controlled or affected by the second part which `includes' certain other things in the definition. This is a well-settled principle of construction. Craies on Statute Law (7th Edn. 1.214) says:

"An interpretation clause which extends the meaning of a word does not take away its ordinary meaning .... Lord Selborne said in Robinson Vs. Barton Eccles Local Board (1883)8 App.Case 798 (801): "An interpretation clause of this kind is not meant to prevent the word receiving its ordinary, popular, and natural sense whenever that would be properly applicable, but to enable the word as used in the Act ... to be applied to something to which it would not ordinarily be applicable".

Therefore, the inclusive part of the definition cannot prevant the main provision from receiving its natural meaning.

उक्त निर्णय यह स्पष्ट करता है कि उक्त परिभाषा में and other services स्वयं ही सभी तरह की सेवाओं को सम्मिलित करने के लिये सक्षम है हालांकि इस परिभाषा में कुछ सेवाओं को चिन्हित भी किया है परन्तु उक्त निर्णयानुसार मूल श्रेणी and other services की मूल भावना को समाप्त नहीं करती है, जिसमें Luxury प्रदानें करने वाली सभी तरह की सेवायें शामिल है।

लगातार.....................9.

उक्त होटल में ऊंट घोडा सवारी विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa जैसी गतिविधियों से अतिथि का जो मनोरंजन किया जाता है एवं जिसका भुगतान लिया जाता है वे निश्चिम रूप से उक्त परिभाषा में दिये गये शब्द other services and entertainment में सम्मिलित होते है। इस तरह विधायिका द्वारा अधिनियम की धारा 2(1)(i) में उन सभी सुविधायों जो किसी व्यक्ति को Entertainment, Enjoument and Comfort देती है, वे सभी and the like सेवाओं में सम्मिलित होती है जो होटल द्वारा प्रदान की जाती है। यंह टिप्पणी करना उचित है कि आवास के साथ में जो अन्य सुविधायें Luxury के रूप में प्रदान की जाती है वे व्यक्ति को Comfort, Enjoyment and Pleasure प्रदान करती है, इसलिए विधायिका द्वारा बाद में वर्ष 2015 में Spa एवं Massage को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है, वे सुविधायें अतिथि को उनके कमरें मे न दी जाकर इसे होटल को Spa Centre Activity Hall में दी जाती है, जिसका महंगा शुल्क वसूल किया जाता है वे वर्ष 2015 के पूर्व भी इस परिभाषा में सम्मिलित थी क्योंकि ये सुविधाए भी Comfort, Enjoyment and Pleasure के लिए होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित A B Abdul Kadian बनाम स्टेट ऑफ केरला में इस पर विचार व्यक्त किया है कि समय व काल के अनुसार Luxury में परिवर्तन आता रहता है।

14. वर्तमान प्रकरणों में व्यवहारी फर्म होटल का व्यवसाय करती है, जिसमें ग्राहकों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ अन्य सुविधाएं प्रतिफल प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जाती हैं। व्यवहारी द्वारा अपने होटल व्यवसाय के संव्यवहारों में अन्य सुविधाओं हेतु प्राप्त राशि फल राजस्थान विलासिता कर अधिनियम 1990 के तहत् विलासिता कर का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अधिनियम की धारा 4(4) के प्रावधान का अवलम्ब लेते हुए यह इस आपत्ति की दोहराया है कि अन्य समस्त सेवाऐं कमरें के अन्दर प्रदान नहीं की जाती है तथा यह वैकल्पिक है इन सेवाओं पर व्यवहारी द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाता है इस लिये इनपर विलासिता कर आरोपणीय नहीं है। इस संबंध में राजस्थान विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापार की परिभाषा का उल्लेख किया जाना समीचीन है:–

Definitions:-

(1) In this Act unless the context requires other wise,

(a) "Business" includes the activates of providing residential accommodation or any place for the purpose of organizing parties,

ceremonies or functions and any other service in connection with, or ancillary to, such activities for monetary consideration, whether or not such activites are carried on with motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such activities;

इस परिभाषक के अनुसार व्यवहारी द्वारा कमरे के अन्दर अथवा बाहर किसी भी प्रकार से किसी रस्म, समारोह अथवा पार्टी के आयोजन हेतु प्रदान किया गया स्थान इस अधिनियम के दायरे में आता है।व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह व्यक्त किया गया कि प्रतिदिन की दर के अनुसार वसूल किये जा सकने वाले प्रभार ही विलासिता कर के दायरे में आयेंगे। यहां पर व्यवहारी द्वारा इस Other guest services के मद में प्राप्त राशि अपने ग्राहकों को निश्चित अवधि के लिये प्रदान किये गये अवासीय सुविधा अनुबन्ध के दौरान प्रदत्त विभिन्न विलासिता कर योग्य सुविधाओं के बदले ही वसूल की गयी है। अतः विलासिता कर होटल के कमरें में प्रदान की गयी सेवाओं तक ही सीमित नहीं है।

15. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में व्यक्त किया गया कि व्यवहारी के विरूद्ध राय बदलने (Change of opinion) मात्र से अधिनियम की धारा 17(10) के तहत् किया गया कर निर्धारण अविधिक है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारी का सर्वेक्षण करने के उपरान्त जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि व्यवहारी द्वारा राजस्थान विलासिता कर अधिनियम के प्रावधानों विपरीत समस्त करयोग्य प्रातियों को प्रस्तुत रिटर्न में नहीं दर्शाया जा रहा है तथा समस्त कर योग्य विलासिता कर पुण्यावर्त (turnover)पर नियमानुसार कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण में केवल राय परिवर्तन (Change of opinion) के आधार पर ही कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में विवेचित पुण्यावर्त पर यहां पुनः कर निर्धारण नहीं किया जा रहा हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण आदेश में कर दायित्व निर्धारण से छूट गये कर का ही निर्धारण किया गया हैं। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SBCWP No. 3676/2001 मै. गील वूलन्स V/s स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड ब्रदर्स में प्रतिपादित सिद्धान्त का संबंध अंश इस प्रकार है कि :–

"That the expression" in any way or under circumstances, "used in section 30 of the Rajasthan Sales Tax Act 1994, are the expressions which have a very wider connotation. "In any way and under any circumstances" would give all permissible powers to be assessing authority. In the case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone fo the existing law, under assessment is patiently there. Therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law.

वर्तमान प्रकरणों में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश मे विवेचित पुण्यावर्त पर यहां पुनः कर निर्धारण नहीं किया जा रहा हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण आदेश में कर दायित्व निर्धारण से छूट गये कर का ही निर्धारण किया गया हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के अनुरूप इस प्रकरण में व्यवहारी फर्म का धारा 17(10) के तहत प्रस्तावित कर निर्धारण पूर्णतः विधिसम्मत हैं। अतः व्यवहारी की उक्त आपत्ति सारहीन है।

लगातार.....................11

16. अतः अधिनियम की धारा 2(1)(a) व 2(1)(i) में Luxury Provided in Hotels व Business के संबंध में पूर्व में जो विवेचन किया गया है उसके अनुसार व्यवहारी द्वारा अपने होटल में ग्राहकों को जो अन्य सेवाऐं यथा ऊंट एवं घोडा सवारी, विलेज टुर Sound and Light, Torch Bearers, Spice shop, Candeel and Patang Show, Flower and Spice arrangement, Fire works, DJ Load, Dhol Bankiyaand Terah Tali, Lunch Setup Dinner Setup, Venue Charges and Entertainment, Wedding Setup, PPL & Langa राशि फल प्राप्त कर प्रदान की गयी, वह पण्यावर्त (Turnover) का भाग है। जिस पर व्यवहारी द्वारा विलासिता कर देय है। उक्त राशि पर व्यवहारी के कथनानुसार यदि सेवा कर अदा कर दिया गया है तब भी वह विलासिता कर के दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो जाता है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उसकी कोई मदद नहीं करते है।

17. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा होटल में प्रदान की जाने वाली उक्त अन्य सेवाऐं अधिनियम की धारा 2(1)(i) Luxury Provided in Hotels की परिधि में आने से उनकी राशि फल पर आरोपित करारोपण व ब्याज विधि सम्मत है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा करारोपण व अनुवर्ती ब्याज की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

18. जहां तक प्रकरण में राजस्थान विलासिता कर (होटल व आवास) अधिनियम 1990 की धारा 21(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरूद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या क्रमशः 449/2014 लगायत 453/2014 का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट विवेचन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई संव्यवहार प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों से छिपाया नहीं गया है तथा समस्त संव्यवहार अपीलार्थी को लेखा पुस्तकों में दर्ज है। कर देयता की मत भिन्नता के आधार पर कर अदा नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम अन्य (2009) 23 वीएसटी पेज 249** के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

19. परिणामस्वरूप राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 449/2014/राजसमन्द लगायत 453/2014/राजसमन्द तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2164/2014/राजसमन्द लगायत 2168/2014/राजसमन्द अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.10.2013 की पुष्टि की जाती है।

20. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जाये।

05/12/17

(राजीव चौधरी)	**(वी. श्रीनिवास)**
सदस्य	**अध्यक्ष**